(To be published in the Gazette of India Part-II, Sec.3(ii))

Government of India Ministry of Labour & Employment

New Delhi, dated the ৺ May, 2016

NOTIFICATION

No. A-11016/03/2009-CLS-II The President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-II entrusted to Shri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad-I for a further period of 06 months with effect from 01.04.2016, or till the date of joining of regular incumbent on the post, or until further orders, whichever is the earliest.

(S. K. Singh)

Under Secretary to the Govt. of India

Tele: 23766903

To,

The Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi (with Hindi version)

Copy to:

- 1. Shri Ranjan Kumar Saran, Presiding Officer, CGITcum-Labour Court, Dhanbad-I
- 2. CGIT-cum-Labour Court, Dhanbad-II.
- 3. CGIT-cum-Labour Court, Dhanbad-I
- 4. All IR desks
- 5. The Pay and Accounts Officer, DGMS, Dhanbad-826001

6. NIC, Ministry of Labour and Employment for uploading the notification on the website of the Ministry (What's New)

50-1085P 12A02.

(भारत के राजपत्र, भाग—II, खण्ड—3(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ****

नई दिल्ली, दिनांक 4 सई, 2016

अधिसूचना

संख्या—ए—11016 / 03 / 2009—सीएलएस— | । । राष्ट्रपति, श्री रंजन कुमार सरन, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, धनबाद— । को सौंपे गए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, धनबाद— । । के पीठासीन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार की अवधि को दिनांक 01.04.2016 से छह माह से आगे की अवधि अथवा नियमित पदधारी के पद ग्रहण करने की तिथि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की अवधि तक बढ़ाते हैं।

म्तोष

(एस.के. सिंह**)**

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

- 1. श्री रंजन कुमार सरन, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, धनबाद—।
- 2. पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह-श्रम न्यायालय, धनबाद—।।
- 3. पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, धनबाद—।
- 4. सभी आई.आर. डेस्क
- 5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, डीजीएमएस, धनबाद-826001
- 6. एनआइसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को मंत्रालय के बेवसाइट(नया क्या है?) पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करने हेतु